by the Secretary of the Lok Sabha: —

"I am directed t0 inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on Friday, the 10th May, 1968, adopted the annexed motion in regard to the Lokpal and Lokayuktas Bill, 1968.

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha appointed to the Joiiit Committee, may be communicated to this House."

MOTION

"That the Bill to make provision tor the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30 from this House, namely:—

(1) Shri S. A. Agadi
(2) Shri Anbazhagan
(3) Shri Frank Anthony
(4) Shrimati Jyotsna Chanda
(5) H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo
(6) Shri C. C. Desai
(7) Shri Shivajirao S. Deshmukh
(8) Shri Gangacharan Dixit
(9) Shri Samar Guha
(10) Shri Kanwar Lai Gupta
(11) Shri Hem Raj
(12) Shri Gunanand Thakur
(13) Dr. Kami Singh
(14) Shri Kinder La!
(15) Shri Thandavan Kiruttinan
(16) Shri Amiya Kumar Kisku
(17) Shri Bhola Nath Master
(18) Shri V. Viswanatha Menon
(19) Shri M. B. Rana
(20) Shri G. S. Reddi
(21) Shrimati Umi Boy
(22) Shri Narayan Swaroop Sharma
(23) Shri Yogendra Sharma
(24) Shri Shashi Bhushan
(25) Shri Vidya Charan Shukla
(26) Shri Ramshekhar Prasad Siqigh
(27) Shri R. K. Sinha
(28) Shri S. Supakar
(29) Shri Tenneti Viswanatham
(30) Shri Y. B. Chavan and

15 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to thi9 House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the J>int Committee."

MR. CHAIRMAN: The House will sit through the Lunch Hour.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the chair]

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1968—*contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, you have spoken for half an hour on this. So you may take another five minutes an<* finish.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : न शुरू करूं, चला जाऊं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: For the whole Bill we have only one hour. One hour has been allotted for this Bill and you have taken half an hour. I think you should be reasonable and let others also get a chance to speak.

SHRI PITAMBER DAS (Utter Pradesh): I have also to speak.

श्री राजनारायण : यही बात चेयरमैन के चेम्बर में हुई, यही बात कांग्रेस पार्टी के व्हिप ने पूछी। संयोग से आप वहाँ आ गई थीं, हमने कहा कि एक घंटा से कम मैं नहीं लूंगा ।

उपसभापति : यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सोचती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपकी पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन है ।

श्री राजनारायण : अगर न भी हो तो हम जो आप कहें उसके मुताबिक चलना चाहते हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am only appealing to you. If you speak for one hour, other Members will not get time. You must finish in five minutes.

श्री राजनारायण : सदन बढ़ा दिया जाय 2–4 दिन के लिए । यहाँ कोई मन्त्री नहीं है ।

उपसभापति : मन्त्री बैठे हैं ।

श्री राजनारायण : उन्होंने अपना सिर इतना नीचा कर लिया था कि उनकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती थी ।

उस समय जब हमारा भाषण स्थगित हुआ था तो उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा हो रही थी और इलाहाबाद, मेरठ इन तमाम जगहों के मजहबी झगड़ों के बारे में बात उठी थी । अब चूंकि समय कम है, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मगर मैं फिर एक वाक्य दोहराना चाहता हूं कि आज जो भी साम्प्रदायिक झगड़े हो रहे हैं उनकी तह में सत्ताधारी पार्टी है । हमारे मित्र नवाब साहब अकबर अली साहब विराजमान हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वे इलाहाबाद जायं उनकी भी आँखें खुल जायंगी अगर वे देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभक्त हो गई है—एक तो एम० आर० शेरवानी के नेतृत्व में प्रो-मुस्लिम, और एक श्री विशम्भर नाथ पाँडे के नेतृत्व में प्रो-हिन्दू ।

इसके बाद आज उत्तर प्रदेश में जो हरिजनों की स्थिति है उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश इस समय करीब 9 करोड़ की आबादी का प्रान्त है। वहां पर हरिजन भी काफी तादाद में हैं। 80-90 के बीच वहां विधान सभा के हरिजन सदस्य होते हैं। इससे समझ लिया जाना चाहिये कि हरिजनो की तादाद वहां काफी है। मैंने अपने पूर्व भाषण में जिस तरह से उन मुसलमानो को लेकर जो आज कांग्रेस में हैं दोषारोपण किया था, उसी तरह से आज मैं उन हरिजनों के बारे में दोषारोपण करना चाहता हूं। आज कांग्रेस हरिजन का नाम लेकर हरिजनो के लिये कुछ इधर-उधर टुकड़ा देकर हरिजनो के वोटो को नाजायज तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके खरीद रही है। मूल प्रश्न क्या है ? मैं वहां की हरिजन समस्या का जानकार हूं। आज भी उत्तर प्रदेश में हरिजनों का कत्ल हो रहा है,, आज भी उत्तर प्रदेश में हरिजन ब्राह्मणो के गांव में कुएं से पानी नहीं ले सकते। अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट यहां से पहले पास हो चुका है लेकिन वह ऐक्ट ऐक्ट रह गया। समय नहीं है नहीं तो मैं अपने और श्री सम्पूर्णानन्द जी के बीच का—जब वे वहां के मुख्य मंत्री थे—पत्रव्यवहार यहां पर रखता। जब हरिजन मन्दिर- आन्दोलन 1956 में मार्च के महीने में चल रहा था, अब वहां हम लोगो पर डंडे चले तो सम्पूर्णानन्द ने हमारे एक पत्र का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप विश्वनाथ मन्दिर में हरिजनो का

प्रवेश कराकर चाहते हो कि सारी हिन्दू वर्ण व्यवस्था टूट जाय। उन्होंने कहा कि मैं एक कुशल प्रशासक होने के नाते मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आती है उसका बनारस का नागरिक होने के नाते, सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू होने के नाते निर्वाह करूंगा। हमने फिर लिखा कि सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू के क्या कर्तव्य हैं? उसका कोई जवाब नहीं आया। आज कांग्रेस के अन्दर हमारे मित्र अकबर अली खां और दूसरे जो अपने को प्रोग्रेसिव समझते हैं उनके मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जो शुद्ध रूप से अपने को सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू कहते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने को विशुद्ध वर्णव्यवस्था का हामी मानते हैं। अगर सत्ता सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू के हाथ में चली गई तो मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र खतरे में पड़ जायगा, समाजवाद खतरे में पड़ जाएगा। फिर समाजवाद का नाम नहीं लेना होगा, जनतंत्र का नाम नहीं लेना होगा। आज जो जनतंत्र और समाजवाद पर करारी चोट हो रही है वह कांग्रेस पार्टी के लोगों के जरिये हो रही है।

एक आंकड़ा हमने उत्तर प्रदेश का प्रस्तुत किया था। उसके बारे में मैं चाहता था कि फखरुद्दीन साहब यहां पर रहते तो उनको आसानी से बात समझ में आती। आज उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धों का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश की कृषि का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा का क्या हाल है? माननीया, आज उत्तर प्रदेश इस देश के अन्दर एक पिछड़ा राज्य है। आमदनी के माने में देखा जाय तो उत्तर प्रदेश के देहात की 180 रुपया साल औसत फी आदमी आमदनी पड़ती है। बंगाल में देखा जाय, महाराष्ट्र में देखा जाय, मद्रास में उनके यहां औसत आमदनी होगी 400–500 लेकिन यहां 180 आती है। शिक्षा के मामले में देखा जाय तो हजार के पीछे एक ग्रेजुएट है जबकि बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र आदि जगहों में हजार के पीछे 4 हैं। शिक्षा के माने में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, दूसरे मानों में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, उद्योग धन्धों के बारे में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ जबरदस्त अन्याय होगा तो उत्तर प्रदेश में भी एक स्थिति पैदा होगी जो केन्द्र से उसके अलगाव को प्रेरित करेगी, केन्द्र से उसकी कटुता बढ़ेगी और वह कटुता अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। लोग इस मांग को करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश इसलिए पिछड़ा रह गया क्योंकि इस बीस साल में कांग्रेसी शासन में बराबर उत्तर प्रदेश का प्रधान मंत्री रहता आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी उत्तर प्रदेश ही नहीं महज उत्तर प्रदेश के एक जिले इलाहाबाद से आते हैं। चूंकि ये प्रधान मंत्री के पद पर रहे इसलिए अपने प्रधान मंत्रित्व की सुरक्षा के लिए मद्रास को, बम्बई को, बंगाल को इन्होंने ज्यादा तरजीह दी और उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की। अपनी गद्दी बरकरार रखने के लिए, प्रधान मंत्रित्व काल को बढ़ाने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश को दबाया। चतुर्दिक, माननीया, उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय है। जहां कुर्बानी करने की बात आएगी, जहां राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम की बात आएगी, मैं समझता हूं कि हमारे भाई इस बात को कबूल करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने समुचित कुर्बानी दी है। चाहे 1857 की पहली जनक्रांति रही हो, चाहे 1921, 1930–32 या 1940–42 का आन्दोलन रहा हो या चाहे आज का समाजवादी आन्दोलन रहा हो, उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के विनियोग विधेयक पर जब यहां चर्चा हो रही है तो उस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए इसको मामूली विनियोग विधेयक समझ कर टालना नहीं चाहिये।

मैं बहुत ही आदर के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में दो सवाल

[श्री राजनारायण]

खड़े हैं। अभी मैं गाजियाबाद गया था, गाजियाबाद में, माननीया, एक हिन्दुस्तान ब्राउन बावेरी लिमिटेड कारखाना है जिसमें स्विस कोलोबोरेशन है, स्विस कोलोबोरेटर का मेजारिटी शेयर है, 50 और 1 का शेयर होने से वह मैनेजिंग डाइरेक्टर बन गया है। जब तक यह भारतीयों के हाथ में था तब तक तो समुचित रूप से चलता था। जब से स्विस के हाथ में चला गया मेजारिटी शेयर होने के नाते तो हालत यह है कि कारखाना बन्द होने जा रहा है। वहां के मजदूरों ने मेमोरेंडम दिया लेकिन वह कच्चा माल यहां पर देने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कारखाने बन्द न हों उसके लिए केन्द्र की सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? इसी तरह से मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि . . .

उपसभापति : अब समय हो गया। आपने दस मिनट लिए।

श्री राजनारायण : देखिये मैंने सब छोड़ दिया है, मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कानपुर में बी०आई०सी० का मसला चला था। मेरे पास हिम्मतसिंह का पत्र है, हिम्मतसिंह का वह पत्र जिसे उन्होंने 'माई डीयर श्रीप्रकाश' करके लिखा है। इसका एक सेन्टेन्स सुन लीजिए —

"My dear Sri Prakasa,

In connection with, your appointment as Chairman, I have had the benefit of information and discussion in Delhi at the Ministerial level. In the light of the records available on the subject it was only wtie<n Shri Satish Chandra was inforrried by Shri T. N. Singh that the late Prime Minister, Shri Lai BaWadur, wanted him to step down in your favour and your appointnwit was made possible."

यह हिम्मतसिंह का पत्र मैं टेबल पर रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री इसकी सफाई दें कि यह श्री हिम्मतसिंह आफ मन्सा को वहां पर कैसे एप्वाइंट कराया। क्या बी० आई० सी० में श्री हिम्मतसिंह आफ मन्सा का यह एप्वाइंटमेंट केवल इस लिये नहीं कराया गया कि बी० आई० सी० का सारा पैसा कांग्रेस के चुनाव प्रचार में खर्च हो। हिम्मतसिंह आफ मन्सा ऐसा आदमी है जिसने श्री श्रीप्रकाश को लिखा, श्री लाल बहादुर शास्त्री को बीच में लाया और श्री टी० एन० सिंह को भी इसमें घसेड़ता है। मैंने खुद श्री टी० एन० सिंह से कहा, उनसे सफाई मांगी, तो उन्होंने कहा कि हमें यह दे दो, यह चिट्ठी बिल्कुल झुठ लिखी है। यह आदमी अशोक होटल का चेयरमैन है, इसका अशोक होटल में एक कमरा है, फ्री कमरा है। ऐसे गन्दे और गलत आदमी को बी०आई०सी० में भेज कर उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे को केन्द्र की सरकार चौपट कर रही है।

उपसभापति : अब खत्म कीजिये।

श्री राजनारायण : माननीया, मैं फिर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मसले पर अगर सफाई के साथ और ईमानदारी के साथ यह सरकार चलना चाहती है तो फिर वही पुरानी पोजीशन पर वह आये, वहां पर प्रेसीडेंट का शासन खत्म किया जाय, जो आर्डिनेंस था उसको रिवोक किया जाय, अनावश्यक ढंग पर पुनः एक करोड़ रुपया खर्च करा के अनुचित ढंग से फिर चुनाव कराने का एक ढोंग रचाये जाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे समस्या का कोई नया समाधान नहीं होगा। इसलिये जनतन्त्र की रक्षा में समाजवाद की रक्षा में, लोकभद्र बाजी की रक्षा में, व्यक्ति और मानवता की रक्षा में आज इसकी आवश्यकता है कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को ठुकराया जाय और उत्तरप्रदेश में पुनः पुरानी स्थिति लाई जाय, संविद की सरकार को लाया जाय।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

श्री राजनारायण : माननीया, संविद की सरकार ने जिन-जिन अच्छे कामों को किया था उन सभी अच्छे कामों को आज खत्म कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सवा छः एकड़ का लगान जो कि आधा माफ करने का ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था उसको राज्यपाल ने क्यों नहीं माना और क्यों उसकी जबरदस्ती वसूली कराई जा रही है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up.

श्री राजनारायण : क्यों वहां बिजली का रेट बढ़ा, क्यों वहां पानी का रेट बढ़ा, क्यों वहां गल्ले की खरीद 75 रुपये क्विंटल पर की गई ? आज उत्तर प्रदेश में. . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN I am calling the next speaker.

श्री राजनारायण : तो मैं आपसे अपील करूंगा कि असल में सदन में चेयर के जरिये कैसे बात को काट कर आप चलाना चाहें और इससे उत्तर प्रदेश या सारे देश का विकास हो जाय तो होने वाला नहीं है।

उपसभापति : समय नहीं है। जो-जो प्रश्न आपने उठाया है उसका जवाब मिलेगा।

श्री पीताम्बर दास : मैडम डिप्टी चेयरमैन, यह जो उत्तर प्रदेश के विधेयक के ऊपर बहस हुई इसमें उत्तर प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति के ऊपर विचार करते समय हमारे एक माननीय सदस्य श्री भूपेश गुप्त जी ने कुछ सवाल उठाये हैं और उनके ऊपर मौलिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है । उन्होंने साफ-साफ यह कहा है :

"The first thing was that the riot was started by some members belonging to the majority community against the members of the minority community."

यह बात उन्होंने इलाहाबाद और मेरठ में जो दंगे हुए हैं उनके सम्बन्ध में कही है।

मैडम, मेरठ में जो 28 जनवरी को झगड़ा हुआ उसके बारे में प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया की, उसी दिन की जो रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रैस और हिन्दुस्तान टाइम्स में जो 29 जनवरी को प्रकाशित हुई है उसके कुछ अंश सुना देना आवश्यक समझता हूं। प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया की यह रिपोर्ट है :

"A 12-hour curfew—beginning 7.30 tonight—was clamped on parts of Meerut City and Cantonment area following an attack on anti-Sheikh Abdullah demonstrators today."

"About a dozen demonstrators te-ceived knife injuries and were admitted to the hospital. The demonstrators were attacked by hundreds of people armed with lathis and iron. bars. Brick-bats were also thrown on them from inside the Faizha$_m$ College. A jeep carried by the demonstrators was badly damaged as a result of the brick-batting."

मैडम, इसी के बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी मिस्टर मुस्तफी का जो बयान छपा है उसमें उन्होंने कहा है : "That the demonstration was peaceful." और 2 फरवरी को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में भूतपूर्व यूनियन डिप्टी मिनिस्टर शाहनवाज खां का जो बयान छपा है वह यह है :

"Former Union Deputy Minister Shah Nawaz Khan said that the Majlis-e-Mushawarat workers were behind all the ugly incidents and that they had given a communal colour to it.

He said these workers had attack[1]ed a peaceful procession of Hindus on January 28th and alleged that

[श्री पीताम्बर दास]

the Mushawarat was functioning on the lines of the Muslim League."

और मैडम, आचार्य कृपलानी जो कि अपने देश के वयोवृद्ध नेता हैं उनका भी जो बयान 2 फरवरी को छपा है उसमें उनका कहना है कि इस सारे कांड के लिये फैजाम कालिज में एकत्रित जमैयत-उल-उल्मा के कार्यकर्त्ता दोषी हैं जिन्होंने शांत प्रदर्शनकारियों पर आक्रमण किया।"

मैडम, हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त इस मसले को हल करना चाहते हैं अजीब तरीके से। उत्तर प्रदेश के इन दंगों की आग को भूपेश गुप्त जी ने बुझाने की कोशिश तो की लेकिन पानी से नहीं बल्कि पेट्रोल और तेल से। उनका कहना है :

"The Government should place before the country statistics as to how many Muslims, members' of the minority community were in high positions."

मैडम, मुझे बहुत आश्चर्य है कि सेकुलर आइडियल को ले कर चलने के बावजूद बीस साल बाद आज भी हम मेजोरिटी और माइनारिटी के पुराने झंझट से नहीं निकल पाये हैं। इससे बड़ा कम्युनल दूसरा नहीं हो सकता जब कि मेजारिटी और माइनारिटी का बेसिस तर्जे-इबादत के ऊपर है। मैडम, भूपेश गुप्त साहब का जो कहना है कि नौकरियों में आबादी के अनुपात से माइनरिटीज को स्थान मिलना चाहिये यह राष्ट्रीय एकत्रीकरण नहीं बल्कि यह पृथकतावादी मनोवृत्ति को पनपायेगा और इस तरह से देश की समस्या हल नहीं हो सकती।

आज संविधान में जब कि देश के अन्दर सब को उन्नति करने का समान अवसर है और मजहब के आधार पर किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होता उस वक्त इस बात की डिमांड करना या किसी पार्टी द्वारा इस बात का रेजोल्यूशन पास करना कि किसी विशेष कम्युनिटी को सिर्फ तर्जे-इबादत की बिना के ऊपर कुछ ज्यादा सहूलियत दी जाय, में समझता हूं कि सेकुलैरिज्म नहीं बल्कि कम्युनलिज्म है। नौकरियों के अन्दर योग्यता के आधार पर स्थान मिलना चाहिये, तर्जे-इबादत के आधार पर नहीं।

मैडम, इन दंगों के बारे में एक दो बातें और बता देना मैं जरूरी समझता हूं। जिस-जिस समय ये दंगे होते हैं उस समय सब लोग कम्युनलिज्म को दोष देने लगते हैं। सभी कम्युनल पार्टी को गाली देना शुरू कर देते हैं।

मैडम, इलाहाबाद के दंगों के बारे में एक खास बात देखने में आई। वहां के एक एक्स-मेयर हैं। इलाहाबाद के दंगों के बारे में उनका जो बयान छपा है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। कानपुर से उन्होंने यह बयान दिया है जो 27 मार्च के अखबारों में आया है, लखनऊ के "स्वतन्त्र भारत" में भी छपा है। इलाहाबाद के दंगों के संबंध में उनका यह बयान है।

"आपने कहा कि इलाहाबाद के दंगों में एक विचित्र बात यह मिली है कि जिन मकानों और दुकानों में आग लगाई गई उन पर पहले "क्रास" के निशान लगा दिये गये। इन अग्निकांडों की यह भी विशेषता रही की दोनों सम्प्रदायों की दुकानों में एक साथ ही आग लगाई गई।

श्री विशम्भर पांडे का यह स्टेटमेंट है :

"श्री पांडे ने विश्वास के साथ यह प्रकट किया कि प्राप्त संकेतों से स्पष्ट हुआ है कि दंगे के पीछे कोई संगठित योजना थी और दोनों सम्प्रदायों में तनाव उत्पन्न करने और उन्हें भड़काने का काम किसी एक केन्द्र से ही निर्देशित हुआ था।"

Madam, the motive behind all these riots was to create tension in the two communities and all those activities had been guided by some Centrally organised force.

"किन किन दुकानों में आग लगायी जाय, इसके लिये पहले से निशान लगाये गये थे और आग लगाने वाले दस्तों को सम्भवत: यह आदेश था कि जिन मकानों और दुकानों पर 'क्रास' के निशान हों उन पर आग लगायी जाये ।" यह स्टेटमेंट है एक मेयर का ।

मैडम, मैं केवल यह बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में और सारे देश में जो अलग अलग तरजे इबादत के लोग हैं वे सब साधारण नागरिक शांति से रहना चाहते हैं, वह आपसी ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहते । परन्तु हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, कुछ अराष्ट्रवादी तत्व काम कर रहे हैं, एन्टी नेशनल फोर्सेज काम कर रही हैं कि जो इस देश के अन्दर हिन्दू और मुसलमानों में स्थायी रूप से तनाव बनाये रखना चाहते हैं कन्सटैन्ट एट्मास्फेयर आफ टेन्शन बिटवीन हिन्दूज एण्ड मुस्लिम्ज ।

जब यह झगड़े होते हैं तो उनका एक स्वाभाविक परिणाम होता है कि भारतवर्ष की बदनामी विदेशों में होती है कि भारतवर्ष में सेक्योलिरिज्म होने के बावजूद भी हिन्दू मुसलमानों के झगड़े हो रहे हैं । कोई भी ऐसा दल जो नेशनलिज्म में विश्वास करता हो, राष्ट्र के लिये और देश के लिये भक्ति भाव रखता हो, प्रेम रखता हो, अपने देश की बदनामी विदेशों में करवाना नहीं चाहेगा । स्पष्ट है कि वही दल इन दंगों के पीछे है जो देश के भीतर साम्प्रदायिक तनाव बनाए रखना चाहते हैं और उसका पोलिटिकल एडवांटेज यानी उसका राजनैतिक लाभ, उठाने की कोशिश करते हैं । वही दल विदेशों में भारतवर्ष की बदनामी कराते जाना चाहते हैं यह सब इसलिये कि भारत की राष्ट्रीयता को कमजोर किया जाय और यहां बाहर के राष्ट्रों के आने के लिये रास्ता खोल दिया जाय ।

मैडम, इन दोनों चीजों में कौन दल दिलचस्पी लेते हैं । यह अंदाजा लगाना आसान बात है । किसी भी मौके पर आप देख लें, आपको साफ दिखायी पड़ेगा कि जो पार्टियां इन दोनों चीजों को हासिल करने की कोशिश करती हैं वही सब से ज्यादा कम्युनल रायट को कन्डम करती हैं । उनको पहचानना पड़ेगा । मैं यह तो नहीं कहता कि उन पर प्रतिबन्ध लगे क्योंकि डैमोक्रेसी में पोलिटिकल पार्टी पर प्रतिबन्ध नहीं लगता, लेकिन यह जरूर है कि आप के जरिये इस सदन से और सदन के जरिये देश की सारी जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि वह अपनी शक्ति का उपयोग इस तरह के तत्वों को निरुत्साहित करने में करें ।

Elements of this types who bring bad name to the country and who feel interested in maintaining constant tension between Hindus and Muslims thereby provide ground to the foreign powers to defame India—all those elements should be democratically crushed and should not be allowed to raise their heads.

I thank you very much, Madam. You have been kind enough to give me time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Misra. You were not in the House when I called your name. Now please be brief. Just ten minutes because we have overran the time.

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मुझे खेद है कि जब आप ने मुझे बुलाया मैं यहां नहीं था ।

साधारण तौर से यह कोई अच्छी बात नहीं है कि प्रदेश का बजट इस देश की राजधानी दिल्ली में प्रस्तुत हो और उस पर यह

[श्री एस० डी० मिश्र]

बहस की जाय । आज उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सचमुच में वह दीख रहा है और जैसाकि पिछली डिबेट में मैंने भी कहा था और कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि इस की जिम्मेदारी और किसी पर नहीं है, उत्तर प्रदेश की साल भर में जो हालत हुई है वह कांग्रेस पर नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बल्कि जिम्मेदारी थी संविद पर । बहर हाल जो कुछ हुआ, बजट के बाद आज इस अप्रोप्रिएशन का में स्वागत करता हूं । मैं इस बजट में कुछ बहुत बड़ी आशाएं भी नहीं करता था, इसलिये में यह नहीं कह सकता कि जो आशायें थीं उन आशाओं के बारे में कोई किसी तरह का उल्लंघन हुआ है क्योंकि राज्यपाल का शासन एक तरह से केयरटेकर गवर्नमेंट की तरह से काम करता है । इसलिये बहुत सी नयी नयी बातों की जो लोग आशा करते थे अगर वह पूरी नहीं हो सकीं तो उस का मुझे दुख भी नहीं है क्योंकि मैं आशा नहीं करता था ।

उपसभापति महोदया, उत्तर प्रदेश की हालत देखते हुए सचमुच बड़ी चिन्ता होती है । हम उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं हम उन के प्रतिनिधि भी हैं, और उन की हालत की तुलना हम अन्य प्रदेशों से भी करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जब हम आजाद हुए उस के बाद से 1950 में जब हमारा प्लान शुरू हुआ तो देश की आमदनी का कम से कम 15 फी सदी उत्तर प्रदेश में था, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपये देश की आमदनी में से उत्तर प्रदेश की आमदनी 1500 करोड़ रुपये थी जो कि करीब 15 फी सदी होती है । आज पन्द्रह वर्ष की योजनाओं के परिश्रम के बादभी दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1966–67 में जब देश की करीब पन्द्रह सोलह हजार करोड़ रुपये की आमदनी देश भर की हुई तो उत्तर प्रदेश की आमदनी केवल 2000 करोड़ हुई । इसके मानी यह हैं कि केवल 12 प्रतिशत देश की आमदनी ही उत्तर प्रदेश में हुई, जब कि आबादी उत्तर प्रदेश की देश की आबादी का 17 फीसदी होती है । आज नतीजा क्या हो रहा है । आज नतीजा यह दिखाई दे रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम में तीसरा नम्बर था आजादी के पहले, वह आज आजादी के बाद इतने वर्षों में पर कैपिटा इनकम से हिसाब से तेरहवां प्रदेश हो गया है, करीब करीब अन्तिम हो गया है । आजादी के पहले उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 250 से ऊपर थी और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह 221 और 230 के बीच हो गई । क्या कारण है ? इस का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश खेतिहर देश है, गरीब है, उन के पास प्लानिंग के लिये पैसा पहुंचता नहीं है ; दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्लानिंग के लिये सेन्ट्रल सैक्टर का इन्वैस्टमेंट बहुत कम है जब कि आबादी वहां की देश का 17 फी सदी है परन्तु प्लानिंग के लिये 7 फी सदी और 8 फीसदी काम हुआ है । अभी एक डाकूमेंट सर्कुलर हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो कि बहुत सुन्दर था । उस से यह पता चलता है कि 76 फी सदी की आब दी के अनुसार रुपया दिया गया और पिछड़े पन के आधार पर केवल 30 फी सदी रकम दी गई । उत्तर प्रदेश को इस में से केवल 4 प्रतिशत मिला । तो नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिये कि आज उत्तर प्रदेश पीछे पड़ा हुआ है ।

एक चीज के बारे में बराबर कहा जाता है जिस का जवाब साधारण तौर पर मिलता नहीं । एक जवाब अवश्य दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पास उद्योग कैसे दिये जायें, उस के पास मिनरल्स नहीं हैं, कोयला नहीं है, कारखाने कैसे चलाये जायेंगे । तो उस का भी जवाब साधारण सा है कि बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन में मिनरल्स की जरूरत नहीं है, इन्जीनियरिंग के कारखाने हैं, पेस्टीसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वह दिया जा सकता है, हमें बहुत दुख नहीं होगा अगर सेन्ट्रल सेक्टर में बड़े बड़े कारखाने उत्तर

प्रदेश में निकाले जायें । कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ खोले जायें तो उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ हो ।

उपसभापति महोदया, में सदन को बताऊं कि देश भर में इरीगेशन प्रणाली पचास फी सदी खेतों के लिये है जब कि केवल 25 फी सदी सिंचाई आज देश भर में हो रही है और देश भर में इरिगेशन पौटेन्शियल 50 फी सदी है यानी 50 फी सदी खेत देश की सिंचाई से पानी प सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां करीब 45 फी सदी इरिगेशन पोटेन्शियल है वहां नदियों का पानी और जो जमीन के नीचे पानी है उस को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन आज वहां की हालत क्या है ? सिर्फ 25 फी सदी, 30 फी सदी खेतों में पानी दिया जा रहा है । और सेन्ट्रल से इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिये मदद नहीं दी जा सकती यह तो कोई कारण नहीं था कि ऐग्रीकल्चर सेक्टर को अधिक अनुपात से नहीं दिया गया । यह जो रीजनल इम्बेलेन्स हो रहा है उस को अगर यहां से ठीक नहीं किया गया तो बड़े दुख की बात है और इसी संबंध में मुझे एक बात और दुख के साथ कहनी पड़ती है कि हिन्दुस्तान में प्रान्त और प्रान्त में रीजनल इम्बेलेन्स हो रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां भी रीजनल इम्बेलेन्स हो रहा है । मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से आता हूं जो ईस्टर्न यू0 पी0 है । अगर मैं यहां सवाल कर दूं कि कितने पम्पिंग सैट पिछले साल उत्तर प्रदेश में सरकार ने लगाये तो बहुत अच्छा जवाब मुझे मिल जायेगा । 18000 । यह 18000 सन् 1966 से एक दो हजार ज्यादा है । इस साल भी जवाब मिलेगा, 20,000 से ज्यादा मिल जायेगा जो कि पिछले साल से एक हजार या दो हजार ज्यादा है । लेकिन अगर हम उस को विवेचन करें तो 17,000 या 18,000 की जो संख्या दी जाती है उस में से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो कि 16 या 18 जिलों का प्रदेश है उस में से केवल 4,000 या 5,000 लगे हैं जब कि और इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में कुल 15,000 लग जाते हैं । तो रीजनल इम्बेलेन्स का जितना भर केन्द्रीय सरकार पर दोष है उतना ही उत्तर प्रदेश सरकार पर हम दोष लगाते हैं । वह भी जिम्मेदार है जो ईस्टर्न यू0 पी0 के पिछड़े पन को दूर नहीं कर रही । भारत सरकार ने पटेल आयोग निकाला बड़ी "टामटामिंग" कर के, एक दोहजार पाइप दिये, पूर्वी जिलों के लिये, उस के बाद प्लान में जो पैसा दिया था वह भी कट गया और स्टेट प्लान में डाल दिया । मुझे सब से ज्यादा दुख होता है भारत सरकार के रुख से । उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों में सूखा पड़ा था तो उत्तर प्रदेश और बिहार को कुछ सूखे के लिये पैसा दिया । उत्तर प्रदेश सरकार यह समझती थी कि यह सूखा के लिए अतिरिक्त पैसा है । यह अंडरस्टैंडिंग थी । लेकिन यह रकम फिर घटने लगी । जितना ज्यादा पैसा दिया जाता था, उसको बजट में बराबर कर दिया गया । पिछले मर्तबे जो ज्यादा दिया गया था, वह कम कर दिया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि प्लान इन्वैस्टमेंट कम से कम होता चला जा रहा है ।

उप सभापति जी, मैं एक दो बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश को किसी नौर्मस से देखा जाय । प्लानिंग कमिशन ने स्वयं नौर्मस बतलाया है उत्तर प्रदेश सरकार को बताने की जरूरत नहीं है । उन्होंने कहा है कि देश के 325 जिलों में से 58 जिले बहुत पिछड़े हुए हैं । इन 58 जिलों में से, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि 22 जिले उसके क्षेत्र में हैं । यह याजी का सौभाग्य और दुर्भाग्य है कि 11 या 13 जिले बिहार के पिछड़े हुए हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जिले पिछड़े हुए क्यों हैं । जो स्टेन्डर्ड और प्रदेशों के जिलों का है वह हमारे जिलों का क्यों नहीं

[श्री एस० डी० मिश्र]

है । 1966 में यह घोषणा की गई थी कि फरूखाबाद और मिर्जापुर में गंगा पर पुल बनाया जायेगा । हम सरकार से बारबार पूछते हैं कि मिर्जापुर में गंगा पर कहां पुल बनाया जायेगा । तो यह यह जवाब दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस संबंध में इस्टीमेंट बना रही है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस इस्टेमेंट को बनाने के लिए कितना समय लगने वाला है ।

एक और चीज है जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचने वाला है । वह यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में एकट्रेक्टर फैक्टरी लगाई जाने वाली है । इसके लिए पिछले तीन वर्षों से तैयारी हो रही है इसके लिए जमीन भी ले ली गई है किसानों को जमीन से हटा भी दिया गया है, सर्वे भी हो चुका है और सफाई आदि भी हो चुकी है । लेकिन भारत सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि फैक्टरी कब लगाई जाय । जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो बतलाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सप्लीमेंटरी इन्क्वायरी कर रही है । चैकवालों से सप्लीमैंटरी एगीमेंट हो गया है ट्रैक्टर को बनाने के बारे में । उप सभापति जी, आज ट्रैक्टर को खरीदने में चार हजार से दस हजार रूपया तक ब्लैक देना पड़ता है । फिएट कारें तो हजार, दो हजार ब्लैक में मिलने लगी है लेकिन ट्रैक्टर चार हजार और दस हजार रूपये ब्लैक देने पर मिलते हैं । 200 जैक ट्रैक्टर आ गये हैं और इन ट्रैक्टरों को पाने के लिए किस से सिफारिश करें ट्रैक्टर तो 200 ही हैं जबकि अर्जियां करीब 2000 हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेक्टर बनाने का कार्य न तो भारत सरकार ही करती है और न उसके लिए वह अनुमति ही देती है । तो फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों की ओर भारत सरकार को देखना चाहिये ।

उप सभापति जी, अभी हाल में इलाहाबाद में कम्युनल राटस हुए । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी कम्युनल राटस हुए । इस एप्रोप्रियशन बिल में इलाहाबाद की चर्चा न की जाती तो अच्छा होता । लेकिन मुझे इसके संबंध में कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ साथियो ने इस संबंध में चर्चा की है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो दंगे उत्तर प्रदेश में पिछले महीनो में हुए उसकी जिम्मेदारी किस की है ? जो तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके साथ कड़ाई के साथ बर्ताव किया जाना चाहिये । कुछ दल ऐसे पैदा हो गये इस देश में जिनका केवल काम कम्युनल पैशन को उक्साना ही है और उसको ऊंचा करना है । यही चीज इलाहाबाद में हुई और मेरठ में भी हुई । इसलिए मेरी मांग है कि जो पार्टियां कम्युनल बातें करती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये और उन्हें इलेक्शन में भाग न लेने देना चाहिये । ऐसी पार्टियों के ऊपर कड़ाई से कार्यवाही की जानी चाहिये यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार यह काम अकेले नहीं कर सकती है इसमें भारत सरकार को अपना रुख बदलना होगा और परिवर्तन करना होगा ।

चूंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं इन शब्दों के साथ इस एप्रोप्रिएशन बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगले साल के बजट में उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों तथा सारे प्रदेश की उन्नति के लिए ज्यादा रुपया दिया जायेगा । अगला बजट तो अब असेम्बली में ही आयेगा, लेकिन मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना बनने वाली है तो मंत्री जी कम से कम चौथे प्लान से इन बातों के बारे में अवश्य विचार करेंगे । अगर

वे एप्रोप्रिएशन बिल में या सप्लीमेंटरी ग्रान्टस में इन बातों के बारे में धन नहीं दे सकते तो चौथी योजना जो बनने जा रही है उसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में भारत सरकार के साथ मिलकर उसकी उन्नति के लिए अवश्य ध्यान देंगे । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन 15 वर्षों में जो गल्तियां हुई हैं,उनको दुरुस्त करने की चेष्टा करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : उप सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश एप्रोप्रिएशन बिल पर दो दिन की बहस इस बात का सबूत है कि यहां एक तरफ सरकार ने जो काम नहीं किये हैं उत्तर प्रदेश मैं उनकी ओर ध्यान दिलाया गया है वहां साथ ही माननीय सदस्यों ने स्वयं ही कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये हैं जिससे ऐसा जाहिर होता है कि जिन प्रयासोंको सरकार ने करना चाहिये था वह उसने किये । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनका स्वागत करता हूं । लेकिन मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो जो सरकार मांग उपयुक्त समझेगी, जो वह प्रेक्टिकल और फिजिब्ल समझेगी, निश्चय ही उन पर विचार करके उनको कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा।

आम तौरपर पिछड़ेपन की चर्चा की गई है और खासतौर पर पूर्वी जिलों की यहां पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगो की भी यहां पर चर्चा की गई है इसके साथ ही साथ खेती, आर्थिक विकास की भी चर्चा की गई है और कई सवाल उत्तर प्रदेश की उन्नति के बारे में उठाये गये हैं । राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन, सेल्स टैक्स आदि , इस तरह के कई बातों के बारे में जिक्र किया गया है । मैं इन बातों को एक एक करके लूंगा ।

चूंकि यहां पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में जोरों से चर्चा की गई है इसलिए मैं पहले इसके बारे में कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन के बारे में यहां पर विशेष रूप से चर्चा की गई है । जैसे आप सब माननीय सदस्य जानते हैं और उन्होंने स्वयं ही यह कहा है कि सरकार ने इस काम के लिए एक पटेल कमिशन नियुक्त किया था । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पटेल कमिशन की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है और उसने इस संबंध में जो सुझाव दिये हैं वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा वहां के विकास के संबंध में उन सब बातों पर प्रयास किया जा रहा है । मैं निजी तौर पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं उनके संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति सारे देश की प्रगति में कुछ मानों में कम ही हुई है लेकिन उसे बहुत पीछे नहीं रहने दिया जायेगा । अब प्रश्न यह है कि विकास की गति को किस तरह से तेज किया जाय ।

पहली बात यह है कि वहां के विकास के लिए केन्द्र की ओर देखते हैं लेकिन इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने स्वयं वहां के विकास के लिए कितने साधन जुटाये हैं । पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश ने जितने साधन जुटाने चाहिये थे उनको वह पूरी तरह से नहीं जुटा सका । जो लक्ष्य थे वे पूरे नहीं हुए । पहली पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य था लेकिन वह 14 करोड़ रुपया ही जुटा पाया । दूसरी पंचवर्षीय योजना में 69 करोड़ रुपये का लक्ष्य था जिसमें वह 31 करोड़ रुपया ही जुटा पाया । इसी तरह से तीसरी पंचवर्षीय योजना में 109 करोड़ रुपये का लक्ष्य था जिसमें वहां की सरकार केवल 90 करोड़ रुपया ही जुटा पाई है । जब वहां की सरकार अपने साधन

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

कम जुटा पाई है तो उसी की वजेह से वहां पर काम कम हुआ है ।

उप सभापति जी मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । 1964-65 में वहां पर राजस्व द्वारा प्रतिव्यक्ति आय 10 रुपया थी जबकि अन्य जगहों पर 16 रुपया थी । उसी तरह से उत्तर प्रदेश में औसत टैक्स अन्य राज्यों से कम थी । इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी भारत सरकार से मांग की जाती है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा दिया जाय । जैसा मैंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार पूरी कोशिश करेगी उसके साथ ही साथ प्रान्तीय सरकार को भी अपने साधन तेजी के साथ जुटाने चाहिये ताकि वहां का विकास तेज गति से किया जा सके इसके लिए वहां की सरकार को ज्यादा प्रयास करना होगा ।

मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के बारे में निवेदन कर रहा था । तो इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना की चर्चा श्री मिश्रा ने यहां पर की । हम यह योजना बना रहे हैं और निश्चय ही उसमें पूर्वी जिलों के बारे में ध्यान रखा जायेगा । माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि दूसरी पंचवर्षीय पोजना के आखिरी वर्ष में इन जिलों के लिए लगभग 8 करोड़ रुपया सहायता के लिहाज से दिया गया । यह एक अलग से रकम थी और जैसे जैसे सरकार के पास साधन जुटते जाते हैं वह उत्तर प्रदेश की सरकार को सहायता देती जाती है ।

यह कहना कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है गलत बात है । हरिद्वार, ऋषिकेश, गोरखपुर और कानपुर में उर्वरक के कारखाने और दूसरे कारखाने लगाये गये हैं । इन बातों को मिश्रा जी ने अपने भाषण में नहीं बतलाया । इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारे पास साधन जुटते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी सहायता करते जाते हैं ।

श्री एस० डी० मिश्र : माननीय मंत्री जी क्षमा करेंगे अगर वे यह बतला दें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेन्ट्रल सैक्टर में कितना इन्वैस्टमेंट हुआ इन टर्म्स आफ रुपीज हमें इसमें हरिद्वार और ऋषकेश के बारे में न बतलायें । हमें यह बतलायें कि उत्तर प्रदेश को सैन्ट्रल सैक्टर में कितना इन्वैस्टमेंट मिला ।

1 P.M.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जो केन्द्र से सहायता दी गई उसके बारे में अभी मिश्रा जी ने जिक्र कर दिया । मैं मानता हूं कि केन्द्र से प्रति व्यक्ति जो सहायता दी गई वह अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में थोड़ी है और इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी काफी ज्यादा है ।

श्री एस० डी० मिश्र : उसको हम कहां ले जायं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अगर आप तीनों पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो सहायता बढ़ती गई है । पहली पंचवर्षीय योजना में 166 करोड़ रुपया दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में 228 करोड़ रुपया दिया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 543 करोड़ रुपया दिया गया । पहली योजना में 52 प्रतिशत दूसरी योजना में 53 प्रतिशत और तीसरी योजना में 65 प्रतिशत। यानी दो रुपया केन्द्र ने दिया और एक रुपया प्रांत ने दिया । तीनों पंचवर्षीय योजनाएं जो आपके सामने आईं उसके हिसाब से चौथी पंचवर्षीय योजना में आप ऐसी आशा कर के चल सकते हैं कि जिस गति के साथ आप को सहायता दी गई उसी गति के साथ

आपके आगे भी मदद दी जा सकती है । और ज्यादा मदद की जायगी ।

मैं अन्य सवालों को न छेड़ते हुये माननीय सदस्यों ने जो अलग अलग सवाल उठाये हैं उनको एक एक करके लेना चाहता हूं । मैंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और खास तौर से पूर्वी जिलों के बारे में जिक्र कर दिया क्योंकि उसका जिक्र इस तरफ के और उस तरफ के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने किया है । लेकिन स्वतंत्र पार्टी के माननीय नेता डाह्याभाई पटेल जी ने इस बात का जिक्र यहां पर बहुत जोर से किया कि उत्तर प्रदेश का बजट पहले क्यों नहीं पेश किया गया । क्या सरकार मध्यावधि चुनावों का इन्तजार कर रही थी । मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा इरादा इस बात का है कि जितनी जल्दी हो सकेगा और जब कि चुनाव आयोग इस बात को उचित समझे सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयार है चुनाव आयोग जब चाहेगा उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव करा दिये जायेंगे । इससे अधिक मैं आपसे और क्या निवेदन करूं क्योंकि इस पर बारबार इस सदन में चर्चा कर दी गई है ।

एक सवाल राजनैतिक पीड़ितों के बारे में उठाया गया था कि राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन नहीं मिलती पूरी सहायता नहीं मिलती । माननीया, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 6,500 राजनैतिक पीड़ित हैं और उनको हर साल लगभग 22 लाख रुपये की सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है । किस तरह से वह सहायता दी जाती है इसके लिये कायदे कानून बने हुये हैं नियम बने हुये हैं और उन नियमों के अनुसार जो व्यक्ति इस बात के योग्य पाया जाता है या कोई उसके परिवार का सदस्य इसके योग्य पाया जाता है उसको सहायता दी जाती है ।

इसके अलावा डाह्याभाई जी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाये हैं जिन को मैं समझता हूं कि वे बहुत बड़े नीति के सवाल हैं और उन पर हमको यहां पर विचार प्रगट नहीं करना चाहिये । मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि यू० पी० को बांट दिया जाय क्योंकि यू० पी० बहुत बड़ा स्टेट है । मिश्रा जी कहते हैं कि उसकी आबादी को हम कहां ले जायें । मुझे पता नहीं है कि इसका क्या समाधान है, लेकिन मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़े नीति सम्बन्धी सवाल हैं, इन पर विशेष विचार किया जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर गया है । लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर भी गया है कि जो छोटे छोटे प्रांत हैं, उनमें जो हालात हुये हैं, वहां पर जो आर्थिक विकास नहीं हुआ है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा । इसलिये मैं इस मुद्दे को जब उपयुक्त समय आयेगा उस वक्त विचार के लिये छोड़ देना चाहता हूं ।

यहां पर शिक्षा के स्तर के गिरावट के बारे में काफी चर्चा की गई, लेकिन माननीया आप देखेंगी कि इस बजट में जो हमने प्रावधान किया है शिक्षा के लिये वह लगभग 58 करोड़ 35 लाख रुपया रखा गया है जो कि कुल बजट का लगभग 16 प्रतिशत है । इसलिये यह कहना कि शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया वह उचित बात नहीं है क्योंकि जितने अनुपात से आना चाहिये उसको पूरा ध्यान में रखकर, उत्तर प्रदेश की आबादी को, गांवों में शिक्षा की तरक्की को, इन सब बातों को ध्यान में बराबर रखा गया है और उसी हिसाब से अनुदान यहां पर रखा गया है ।

श्री डाह्याभाई व० पटेल (गुजरात) : उसका उपयोग कहां होता है, पार्टी को मजबूत बनाने में या लोगों को सहायता देने में ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जिस पार्टी की सरकार होती है उसको कुछ लाभ मिलता होगा, मुझे मालूम नहीं । थोड़े दिन पहले पटेल जी की पार्टी सरकार में थी

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

इसलिये उनको लाभ मिला होगा ।

माननीया, भूपेश गुप्त जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने साम्प्रदायिक दंगों की यहां पर चर्चा की । यह बात सही है कि देश के अन्य प्रांतों में जितने साम्प्रदायिक दंगे हुये उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश के अन्दर हुये, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूं कि सरकार को उसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार की तरफ से इस बात का पूरा प्रिकाशन लिया गया सामाजिक स्तर पर और राजकीय स्तर पर कि कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिये। जहां जहां भी इस तरह के समाचार सरकार को मिले उनको दबाने का प्रयास किया गया, उनको घटाने का प्रयास किया गया। माननीया, क्षमा कीजियेगा मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे इस बात का पता चल जायगा कि धीरे धीरे कर के साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते गये। मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं उनके कारणों में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब कांग्रेस शासन था उत्तर प्रदेश के अन्दर तो वह दंगे बहुत कम हुये, जिस समय कांग्रेस का शासन नहीं रहा उस समय दंगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। इसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1963 में जहां केवल एक दंगा हुआ वहां 1964 में दो हुये, 1965 में 6 हुये, 1966 म पांच हुए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश से गई 1967 में 12 गेदं वहां पर हुये और इस साल में लगभग चार चार दंगे हुए उनमें से एक दंगा जब वहां राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया तब इलाहाबाद में हुआ। इस तरह से आप देखेंगी कि कुल मिला कर ये 15 दंगे कांग्रेस के शासन में हुये, लेकिन एक साल के शासन में विरोधी दलों की सरकार जब वहां पर बनी तो दंगे बराबर हो गये यानी जितने कुल मिला कर हुये पिछले पांच सालों में उतने एक साल में संविद की सरकार के अन्दर हुये। इसलिये यह कहना कि कांग्रेस के शासन में ज्यादा दंगे हुए यह बात उचित नहीं होगी। मैंने आपसे निवेदन किया कि उसके क्या कारण हैं, उनका समाधान क्या होना चाहिये, उसके लिये तो भारत सरकार ने एक कमिशन भी नियुक्त किया है और वह जांच कर रहा है। इलाहाबाद के दंगों के लिये तो खास तौर से एक सीनियर आई० सी० एस० आफिसर की नियुक्ति की गई है जो कि जांच पड़ताल करेगा और इन सब बातों में जायेगा और जो वह सुझाव देगा उस पर पूरी तरह से अमल किया जायेगा।

माननीया श्री राजनारायण जी ने कुछ ऐसे सवाल उठाये हैं जिनका मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिये जवाब देना शोभा नहीं देता। लेकिन बार बार वे इस बात को उठाते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इसका जिक्र नहीं किया गया तो फिर कहीं उनके मन में यह सन्देह न रह जाय कि शायद हमारे पास इस बात के आंकड़े नहीं थे और इसलिये हम उनकी बात को दबा गये, छिपा गये। मैं उनसे इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि संविद की सरकार ने सरचार्ज लगाया था, लड रेवेन्यू पर उसको माफ किया गया। दूसरी ओर जो उन्होंने इस बात की चर्चा की कि दो रुपये तक के लगान वालों को माफ किया गया था लेकिन राष्ट्रपति शासन में फिर उसको लगा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सवा छः एकड़ का जो लगान आधा किया जा रहा था उसको फिर दुबारा लगा दिया। इस बात की मैंने पूरी जाँच पड़ताल की है और यहाँ पर कोई जानकारी इस तरह की प्राप्त नहीं हुई है कि वहाँ पर असेम्बली के अन्दर कोई इस तरह का विधेयक पारित किया गया हो जिसके जरिये लैंड रेवेन्यु सवा छः एकड़ तक आधा किया जा रहा हो या दो रुपये तक का जो लैंड रेवेन्यु है वह माफ किया जा रहा हो। अगर असेम्बली ने

इस तरह का कोई प्रस्ताव पास किया होता तो उसको जरूर क्रियान्वित किया जाता। यह सब बातें कहने मात्र के लिये होती हैं। उससे कोई बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने वाला है ऐसा मैं मान कर नहीं चलता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि किसानों की ज्यादा बहबूदी होनी चाहिये उनकी श्रामदनी के साधन बढ़ाये जाने चाहिये सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जाने चाहिये, उर्वरक खाद के कारखाने लगाये जाने चाहिये, उनको श्रच्छे श्रौजार दिये जाने चाहिये। इसकी चर्चा माननीय सदस्य ने उठाई है श्रौर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उत्तर प्रदेश के श्रन्दर खेती का विकास होना चाहिये, सिंचाई के साधन जुटाये जाने चाहिये श्रौर इन साधनों के जुटाने से जो देश की तरक्की हो रही है उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी तरक्की होनी चाहिये।

माननीय सदस्य ने इस बात की भी चर्चा की है कि कांग्रेस के शासन में उत्तर प्रदेश का खर्चा बढ़ता चला गया है। माननीया, ये श्रांकड़े हमारे सामने हैं श्रौर इनसे ऐसा लगता है कि हर साल उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार का खर्चा घटता जा रहा है। श्रन्य प्रान्तों के मुकाबिले में श्रगर देखा जाय तो ऐसा मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का खर्चा श्रन्य प्रांतों के खर्चे से बहुत कम हुश्रा है। मिसाल के तौर पर यह जो लेटेस्ट श्रांकड़े हैं उनमें उत्तर प्रदेश का प्रशासकीय [illegible] टोटल एक्सपेन्डीचर का 11.73 प्रतिशत है जब कि राजस्थान का 13.92 है, महाराष्ट्र का 13.87 है, मद्रास का 12.18 है, मध्य प्रदेश का 12.[illegible]6 है बिहार का 13.19 है, श्रासाम का 13.39 है श्रौर श्रांध्र प्रदेश का 12.81 है। श्रौर वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा है 14.94 इस तरह श्रापको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार का खर्चा श्रन्य प्रान्तीय सरकारों के मुकाबले कम है श्रधिक नहीं है।

जो दूसरी [illegible] गई हैं वे राजनीतिक मसले हैं उन पर मैं विचार जाहिर करना उचित नहीं समझता लेकिन बिक्री कर के बारे में खास तौर से कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही बिक्रीकर को बढ़ा दिया गया। मैं राजनारायण जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के श्रोरिजिनल सेल्स टैक्स ऐक्ट में धारा 4 की (बी) जोड़ कर इस बात की कोशिश की गई है कि जो नोटीफाइड बोर्डस बनाने वालों को कच्चा माल खरीदना पड़ता है उसमें सेल्स टैक्स की कुछ छूट दे दी जाय। यही नहीं सिल्क यार्न पर जो हाथ से काता जाता है सेल्स टैक्स 4 से 2 प्रतिशत कर दिया गया। तिलहन पर जो इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स लगता था उसको एक प्रतिशत कम कर दिया गया है। इस सबसे पता चलता है कि सेल्स टैक्स कम किया गया है बढ़ाया नहीं गया है। इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने की थी जिनका जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund °f the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Madam, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.